



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227362
CG-DL-E-03062021-227362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]
No. 309]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

सा.का.नि. 387(अ).—आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) "संस्थान" से अधिनियम की धारा 3 के खंड (ज) के अधीन यथा परिभाषित संस्थान अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन यथा परिभाषित अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "नियमों" से अधिनियम की धारा 27 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं।

3. संस्थान की शक्तियाँ और कार्य - संस्थान निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा -

- (i) संस्थान के समग्र कार्यों और प्रगति का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और देखरेख।
- (ii) संस्थान के वार्षिक खातों और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देगा।
- (iii) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाएगा।
- (iv) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान के सभी या किसी भी नियम या विनियम या समिति को बनाएगा अथवा संशोधन करेगा अथवा निरस्त करेगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि यह अधिनियम अथवा नियम के विपरीत नहीं होंगे।
- (v) संस्थान के किसी भी कार्य के निर्वहन में किसी शक्ति का उपयोग करने या किसी ऐसे मामले में, जो संस्थान द्वारा उन्हें भेजा जाए, के बारे में पूछताछ करने या रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों का विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से गठन करेगा।
- (vi) संस्थान के कामकाज के संचालन के लिए ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम या नियमों के विरोधात्मक नहीं होंगे।

4. अध्यक्ष की शक्तियाँ - अध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो -

- (i) संस्थान के कामकाज का संचालन, जैसा कि संस्थान द्वारा उन्हें निहित किया जाए।
- (ii) समय-समय पर संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करना।
- (iii) संस्थान की बैठकें आयोजित करना और प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।
- (iv) शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- (v) संस्थान अथवा शासी निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपी गई ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करना।

5. संस्थान की बैठकें - (1) संस्थान के कामकाज के संचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा जितनी बार आवश्यक माना जाएगा संस्थान की बैठकें की जाएंगी लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार बैठक की जाएगी।

- (2) संस्थान की बैठक अध्यक्ष द्वारा नियत जगह, तारीख और समय पर आयोजित की जाएगी।
- (3) संस्थान की किसी साधारण बैठक के लिए, बैठक की जगह, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करने वाली एक सूचना सचिव द्वारा इस तरह की बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले संचार के कानूनी रूप से स्वीकार्य मोड के माध्यम से भेजी जाएगी। बैठक की सूचना के साथ कार्यसूची भी भेजी जानी चाहिए और जहां यह संभव नहीं है, कार्यसूची को कम से कम दस दिन पहले संचार के कानूनी रूप से स्वीकार्य रीति के माध्यम से भेजा जाएगा।
- (4) संस्थान के अत्यावश्यक कार्य के संचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय संस्थान की एक असाधारण बैठक बुलाई जा सकेगी।
- (5) संस्थान की किसी असाधारण बैठक के लिए, बैठक की जगह, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करने वाली एक सूचना सचिव द्वारा इस तरह की बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले संचार के कानूनी रूप से स्वीकार्य मोड के माध्यम से भेजी जाएगी। बैठक की सूचना के साथ कार्यसूची भी भेजी जानी चाहिए और जहां यह संभव नहीं है, कार्यसूची को कम से कम चार दिन पहले संचार के कानूनी रूप से स्वीकार्य रीति के माध्यम से भेजा जाएगा।

- (6) संस्थान की असाधारण बैठक संस्थान के कम से कम नौ सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, अनुरोध की प्राप्ति के एक महीने के भीतर भी बुलाई जा सकती है, सदस्यों द्वारा अपेक्षित बैठक के लिए किए गए अनुरोध में बैठक का उद्देश्य इंगित किया जाएगा।
- (7) संस्थान की किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने बीच से एक व्यक्ति का चयन करेंगे।
- (8) संस्थान की बैठक के लिए कोरम पचास प्रतिशत होगा।
- (9) अध्यक्ष किसी भी समय बैठक से पहले अथवा बैठक के दौरान कार्यसूची में कामकाज की नई मदों और पूरक मदों को शामिल कर सकेंगे और इस तरह की मदों पर भी विचार किया जाएगा।
- (10) संस्थान की किसी भी बैठक में किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के इच्छुक सदस्य, सचिव को इस संबंध में लिखित रूप से सूचना देगा, ताकि बैठक की तारीख से कम से कम बीस दिन पहले वह उन्हें प्राप्त हो सके और प्रस्तावित प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।
- (11) किसी बैठक में संस्थान द्वारा निपटाए गए किसी भी विषय को एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व पुनः विचार के लिए नहीं लाया जाएगा सिवाय उस मामले में जहां अध्यक्ष या सरकार यह सूचित करती है कि संस्थान के हित में विषय पर और अधिक विचार की आवश्यकता है।
- (12) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए बिंदु के आधार पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- (13) संस्थान के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे और मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा।
- (14) संस्थान की बैठक की समस्त कार्रवाई संस्थान के सचिव द्वारा रखी गई एक कार्यवृत्त पुस्तिक में दर्ज की जाएगी, बैठक के कार्यवृत्त को संचार के कानूनी रूप से स्वीकार्य मोड के माध्यम से परिचालित किया जाएगा, कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई को पुष्टि के लिए अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

6. सदस्यता समाप्त करना- यदि कोई नामित सदस्य, संस्थान की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति के समुचित अवकाश के बिना भाग नहीं लेता है, तो ऐसा सदस्य संस्थान का सदस्य नहीं बना रहेगा।

7. आकस्मिक रिक्तियों को भरना- निधन, त्यागपत्र या अन्य कारण से हुई सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की आकस्मिक रिक्तियां उस प्राधिकारी की सुविधानुसार जल्द से जल्द भरी जाएंगी, जो उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हो गया है, को नियुक्त, नामित अथवा निर्वाचित करता है।

8. रिक्ति जिससे कार्यवाही प्रभावित न हो - सदस्यता में रिक्ति के होते हुए भी संस्थान कार्य करेगा और किसी भी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन या चयन में किसी भी दोष के होते हुए भी और संस्थान की कोई भी कार्यवाही किसी भी रिक्ति के अस्तित्व के कारण या उसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन या चयन में कोई दोष के कारण अमान्य नहीं होगी।

9. अयोग्यता- (1) पदेन सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य को संस्थान के किसी भी प्राधिकारी के रूप में चयन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा -

(i) यदि वह असंतुलित मानसिकता का है;

(ii) यदि वह अमुक्त दिवालिया है; या

(iii) यदि उसे नैतिक मर्यादा के अपराध में कानूनी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

- (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति ऊपर उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है या रहा है, तो प्रश्न अध्यक्ष के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।
10. **सदस्यों को पारिश्रमिक-** संस्थान के गैर-आधिकारिक सदस्य इस तरह के पारिश्रमिक, यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे, जो संस्थान की बैठकों में भाग लेने के लिए उनके द्वारा की गई किसी भी यात्रा के संबंध में बनाए जाने वाले विनियमों में उपबंधित किए जाएं।
11. **स्थायी समितियाँ-** संस्थान जैसा आवश्यक हो स्थायी समितियों का गठन करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-
- (i) वित्त समिति;
 - (ii) शैक्षणिक परिषद;
 - (iii) अनुसंधान समिति;
 - (iv) संपदा समिति;
 - (v) योजना और निगरानी समिति;
 - (vi) परीक्षा नियंत्रण बोर्ड;
 - (vii) अस्पताल प्रबंधन समिति; तथा
 - (viii) कर्मचारी चयन समितियाँ।
12. **बजट प्रस्ताव-** संस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के अधीन मंत्रालय को बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
13. **शिकायत निवारण और अन्य तंत्र-** संस्थान निम्नलिखित का गठन और प्रावधान करेगा अर्थात्:
- (क) रेंगिंग विरोधी प्रकोष्ठ;
 - (ख) भेदभाव विरोधी प्रकोष्ठ;
 - (ग) जेंडर संवेदीकरण प्रकोष्ठ;
 - (घ) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ;
 - (ङ) यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति;
 - (च) दिव्यांगजनों के लिए सभी सुविधाओं तक बाधा मुक्त पहुँच।
14. **प्रवेश और फीस संरचना-** (1) संस्थान में छात्रों का प्रवेश पूर्णतः योग्यता और विनियमों द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर तथा इस संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार होगा।
- (2) संस्थान कम से कम पांच वर्षों के लिए प्रवेश के रिकॉर्ड को संरक्षित रखेगा
 - (3) संस्थान में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों की फीस संरचना समय-समय पर संस्थान द्वारा निर्धारित फीस संबंधी नियमों के अनुसार तय की जाएगी।
 - (4) संस्थान में दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए फीस के स्तर और पाठ्यक्रम को चलाने की लागत के बीच एक उचित संबंध होगा, फीस संरचना को प्रास्पेक्टस और संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

- (5) संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा का कोई व्यावसायीकरण न हो, साथ ही संस्थान सभी योग्य छात्रों को जाँच और पहुँच सुविधा प्रदान करेगा।

15. **वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-** (1) भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार, संस्थान के खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में होंगे।

- (2) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा का एक प्रारूप संस्थान की वार्षिक आम बैठक के सम्मुख विचारार्थ और अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। संस्थान द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों की प्रतियां, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय, भारत सरकार को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के प्रत्येक पटल पर प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ भेजी जाएंगी।

[फा. सं. एल-12015/5/2021-एएस]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

G.S.R. 387(E).— In exercise of the powers conferred by section 27 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020(16 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules for Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) “Act” means the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020);
 - (b) “Institute” means the Institute as defined under clause (h) of section 3 of the Act;
 - (c) “President” means the President as defined under sub-section (1) of section 8 of the Act;
 - (d) “rules” means the rules framed by the Central Government under section 27 of the Act.
3. **Powers and functions of the Institute.**- The Institute shall perform the following functions -
 - (i) Guide, supervise and oversee the overall functioning and progress of the Institute.
 - (ii) Approve the annual accounts and annual report of the Institute.
 - (iii) Make regulations with previous approval of the Central Government.
 - (iv) Make or modify or cancel all or any rules or regulations or committee of the Institute, subject to the condition that it shall not be contradicting the Act or rules, with previous approval of the Central Government.
 - (v) Constitute standing committees and *ad hoc* committees for exercising any power in discharging any function of the Institute or for inquiring into or reporting or advising upon, any matter which the Institute may refer to them, in such manner as may be specified by regulations.
 - (vi) Perform such duties and exercise such powers for the conduct of business of the Institute that it shall not be contradicting the Act or rules.
4. **Powers of President.**- The President shall perform such duties and exercise such power -
 - (i) Conduct of business of the Institute, as may be vested in him by the Institute.
 - (ii) Review periodically the work and progress of the Institute.
 - (iii) Convene meetings of the Institute and preside over every meeting.
 - (iv) Act as chairperson of the Governing Body.

- (v) Exercise such other power as may be assigned by the Institute or Governing Body from time to time.
- 5. Meetings of the Institute.-** (1) The Institute shall meet as often as may be considered necessary by the President for the transaction of the business of the Institute but shall meet at least once in a year.
- (2) Meeting of the Institute shall be held at such place, date and time as may be fixed by the President.
- (3) For an ordinary meeting of the Institute, a notice specifying the place, date and time of the meeting shall be sent by the secretary at least two weeks prior to the date of such meeting through legally acceptable mode of communication, the agenda shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting through legally acceptable mode of communication.
- (4) An extraordinary meeting of the Institute may be called by the President at any time for the transaction of urgent business of the Institute.
- (5) For an extraordinary meeting of the Institute, a notice specifying the place, date and time of the meeting shall be sent by the secretary at least one week prior to the date of such meeting through legally acceptable mode of communication, the agenda shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least four days before the meeting through legally acceptable mode of communication.
- (6) An extraordinary meeting of the Institute may also be called on a written request of not less than nine members of the Institute within a period of one month of the receipt of the requisition, the request made by the members for a requisitioned meeting shall indicate the purpose of the meeting.
- (7) In the absence of the President at any meeting of the Institute, the members present shall select a person from among themselves to preside over such meeting.
- (8) The quorum for a meeting of the Institute shall be fifty per cent.
- (9) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting fresh items of business and supplementary items to those included in the agenda and such items shall also be taken up for consideration.
- (10) Any member desirous of moving any resolution at a meeting of the Institute shall give notice thereof in writing to the secretary so as to reach him not less than twenty days before the date of the meeting and the proposed resolution shall be included in the agenda.
- (11) No subject disposed of by the Institute at a meeting shall be brought up again for consideration until after the expiry of one year except in a case where the President or Government intimates that the subject required further consideration in the interest of the Institute.
- (12) A decision given by the President of the meeting on a point of order raised by a member shall be final.
- (13) All decisions of the Institute shall be taken on a majority vote and in case of equality of votes the President shall have a casting vote.
- (14) All proceedings of the meeting of the Institute shall be entered in a minutes book to be maintained by the secretary to the Institute, the minutes of the meeting shall be circulated through legally acceptable mode of communication, the minutes and the action taken thereon shall be placed before the next meeting for confirmation.
- 6. Termination of membership.-** If a nominated member does not attend three consecutive meetings of the Institute, without proper leave of absence, such member shall cease to be a member of the Institute.
- 7. Filling up of casual vacancies.-** Casual vacancies among the members (other than ex-officio members) due to demise, resignation or otherwise shall be filled up as soon as it may be convenient by the authority who appointed or nominated or elected the member whose place has become vacant.
- 8. Vacancy not to affect proceedings.-** The Institute shall function, notwithstanding any vacancy in the membership therein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination or election of any of its member and no act or proceedings of the Institute shall be invalid merely by reasons of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination or election of any of its members.
- 9. Disqualification.-** (1) A member other than ex-officio member shall be disqualified for being chosen as and for being a member of any of the authorities of the Institute –
- (i) if he is of unsound mind;
- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if he has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude.

- (2) If any question arises as to whether a person is or has been subjected to any disqualification mentioned above, the question shall be referred for decision to President and his decision shall be final.
- 10. Remuneration to members.-** The non-official members of the Institute shall be entitled to such remuneration, travelling and daily allowance as may be provided for in the regulations to be made in this behalf in respect of any journey undertaken by them for attending the meetings of the Institute.
- 11. Standing Committees.-** The Institute shall constitute such standing committees as may be necessary including the following -
- (i) Finance Committee;
 - (ii) Academic Council;
 - (iii) Research Committee;
 - (iv) Estate Committee;
 - (v) Planning and Monitoring Committee;
 - (vi) Examination Control Board;
 - (vii) Hospital Management Committee; and
 - (viii) Staff Selection Committees.
- 12. The budget proposals.-** The Institute shall submit budget proposals to the Ministry under Budget Estimate and Revised Estimate in the format prescribed by Ministry of Finance.
- 13. Grievance Redressal and other mechanism.-** The Institute shall constitute and provide the following, namely:-
- (a) Anti Ragging Cell;
 - (b) Anti-discrimination Cell;
 - (c) Gender Sensitisation Cell;
 - (d) Grievance Redressal Cell;
 - (e) Internal Complaints Committee for prevention of sexual harassment;
 - (f) Barrier free access of all the facilities to persons with disabilities.
- 14. Admission and fee structure.-** (1) Admission of the students to the Institute shall be made strictly on merit based on an all India examination as prescribed by the regulations and in consistence with the national policy in this behalf, from time to time.
- (2) The Institution shall preserve the records of admission at least for five years.
 - (3) The fee structure of various programmes of study in the Institute shall be fixed in accordance with the fee regulations framed by the Institute from time to time.
 - (4) The level of the fee charged for the courses offered in the Institute shall have a reasonable relation to the cost of running the course, the fee structure shall be displayed in the prospectus and on the Institution's website.
 - (5) The Institute shall ensure that there is no commercialisation of education, further, Institution shall provide for enquiry and access to all deserving students.
- 15. Annual Report and Accounts.-** (1) In accordance with General Financial Rules of the Government of India, the Accounts of the Institute shall be in the format prescribed by Comptroller and Auditor General of India.
- (2) A draft of the Annual Report and the Annual Accounts of the Institute shall be placed before the Annual General Meeting of the Institute for its consideration and approval, the copies of the Annual Report and Annual Accounts as finally approved by the Institute shall be submitted to Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, Government of India, for the purpose of being laid down on the Table of each House of Parliament within nine months of closure of the accounting year.

[F. No.L.12015/5/2021-AS]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.